

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(1)(1)/पंच/रानिआ/2019/ 6361

दिनांक: 27.12.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,  
(पंचायत) (कलक्टर) राजस्थान।

**विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के आम चुनाव, 2020-पंच/सरपंच के चुनाव प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश।**

महोदय,


राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के लिए आम चुनाव करवाये जाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। मतदान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तीन चरणों में सम्पन्न होगा। जिन ग्राम पंचायतों में आम चुनाव होने हैं, उनकी सूची पंचायत समितिवार आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। पंच पद के लिए आम चुनाव मतपेटियों एवं सरपंच पद के लिए आम चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से करवाये जायेंगे।

पंच एवं सरपंच आमचुनाव में नाम निर्देशन की प्रक्रिया एवं मतदान दिवस में कुछ दिनों का अंतराल रखा गया है, जिससे पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिए मतपत्र मुद्रित करवाये जा सकें तथा सरपंच पद के चुनाव में प्रयुक्त होने वाली EVMs तैयार की जा सकें।

अतः पंच/सरपंच के चुनाव में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, संवीक्षा एवं नाम वापसी का कार्य, मतदान तिथि से कुछ दिनों पूर्व आयोग द्वारा निर्धारित तिथियों में पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न किया जा सके, इस हेतु निदेशित किया जाता है कि:-

1. नियम 23(3) में नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को पंचायत मुख्यालय पर पंच/सरपंच के चुनाव की लोक सूचना जारी होने के पश्चात् नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने हेतु-
  - (i) दिनांक 08.01.2020, 13.01.2020 एवं 20.01.2020 से एक दिन पूर्व सायंकाल तक पहुँचने के लिए निदेशित किया जाये।
  - (ii) यदि पंचायत मुख्यालय पर पहुँचना सुगम हो अर्थात् नजदीक स्थान हो तो उक्त दल को नामनिर्देशन प्रक्रिया वाले दिन ही प्रातः जल्दी भेजा जा सकता है।
  - (iii) वार्डों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए रिटर्निंग अधिकारी की सहायता हेतु एक या अधिक मतदान अधिकारी या कार्मिक जो मतदान अधिकारी की योग्यता रखता हो, को लगाया जा सकेगा।
  - (iv) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, नाम वापसी का कार्य अगले दिन अर्थात् चरणवार तिथि क्रमशः दिनांक 09.01.2020, 14.01.2020 एवं 21.01.2020 को होना निर्धारित है।
2. रिटर्निंग अधिकारी पंचायत मुख्यालय पर पंचायत भवन अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तय स्थान पर चरणवार नियत एवं समय पर-
  - (i) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेगा,
  - (ii) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा करेगा,
  - (iii) नाम वापसी की कार्यवाही सम्पादित करेगा

- (iv) प्रत्येक वार्ड पंच अथवा सरपंच यथास्थिति के लिए चुनाव लड़ने योग्य अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप-5 में तैयार करेगा
  - (v) प्रत्येक चुनाव लड़ने योग्य उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह आवण्टित करेगा।
  - (vi) रिटर्निंग अधिकारी उसी दिन अपने सहायक के साथ पंचायत मुख्यालय से लौटकर, जिला निर्वाचन अधिकारी को पंच एवं सरपंच का चुनाव लड़ने योग्य अभ्यर्थियों की सूची, उन्हें आवंटित चुनाव चिन्हों सहित प्रस्तुत करेंगे।
  - (vii) रिटर्निंग अधिकारी नाम निर्देशन पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजों (निक्षेप राशि एवं रसीद बुक के अलावा) को भी जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
  - (viii) उक्त उप बिन्दु संख्या (vii) में अंकित दस्तावेजों की प्राप्ति/जांच के लिए प्रत्येक पंचायत समिति के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। नोडल अधिकारियों के कार्य के पर्यवेक्षण हेतु एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त किया जाए।
3. रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायता हेतु नियोजित मतदान अधिकारी या कार्मिक को समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।
  4. उक्त सूची के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा EVM में लगाये जाने एवं निविदत्त मतपत्र के रूप में उपयोग के लिए मतपत्र तैयार कराये जायेंगे।
  5. पंच पद के निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाले मतपत्र भी अभ्यर्थी के नाम एवं उनके प्रतीक सहित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुद्रित करवाये जायेंगे।
  6. उक्त बिन्दु संख्या 4 एवं 5 में वर्णित मतपत्रों के मुद्रण हेतु प्रूफ सत्यापन के लिए भी प्रत्येक पंचायत समिति के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए ताकि त्रुटि रहित मतपत्र तैयार हो सके।
  7. सरपंच पद का निर्वाचन EVM से करवाया जाना है इसलिए मतपत्र के मुद्रण के तुरन्त पश्चात EVM मतदान हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी की देखरेख में जिला स्तर पर तैयार की जाएगी।
  8. मतदान दलों के प्रशिक्षण एवं उनकी रवानगी की व्यवस्था जिला मुख्यालय पर ही की जाए।
  9. कुछ स्थितियों में निर्विरोध चुनाव, विशेषतः पंच पद के लिए, भी हो सकता है। इस हेतु मतदान रिटर्निंग अधिकारी को परिणामों की घोषणा एवं शपथ से संबंधित फॉर्म/सामग्री आदि भी उपलब्ध कराई जाए।
  10. ईवीएम से मतदान के मामले में रिटर्निंग अधिकारी नियम 32ए, 33ए, 33बी, 34ए, 36ए, 36बी, 37ए, 38बी, 39ए, 40ए, 41ए, 44ए, 47ए, 47बी, 47सी, 49सी, 49डी, 50ए, 52ए तथा 53ए के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कार्यवाही करेगा।
  11. रिटर्निंग अधिकारी के कर्तव्य पीठासीन अधिकारी की मार्गदर्शिका में दिए गए हैं, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रशिक्षण के दौरान उक्त कर्तव्यों को भली-भांति समझा दिया जाए।
  12. पंच/सरपंच के निर्वाचन के संबंध में आयोग द्वारा जारी आदेश/दिशानिर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,  
  
 (श्याम सिंह राजपुरोहित)  
 मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
 एवं सचिव